

-गायालय उपाध्यक्ष अधिकारी कोल्कासिम (अलवर)  
-दावा सं० 110/17

कमला बनाम सरदार

4/8/17 -बापे मय वकील उपर दावा दर्ज रजिस्टर  
किया जावे। उतिवादीगण को जेय समन तालब किया  
जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 26/9/17 को पेश हो  
ए

ए

जु जण्ड अधिकारी

कोल्कासिम (अलवर)

6/9/17

पुत्रवली पेश हुई। वही वकील उपर  
पुत्रवली पेश करने के अर्थ में पेश  
की गई। वही वकील पेश करने  
करना चाहते। वही पेश की गई। पेश  
किया दिनांक 14.9.17 को पेश हो। ए

जु जण्ड अधिकारी

कोल्कासिम (अलवर)

14/9/17

वही वकील उपर वही का पेश दिनांक  
किया गया है। वही पेश करने  
जाकर अर्थात् वही किया गया। वही  
पेश करने अर्थात् वही पेश करने  
पेश करने अर्थात् वही पेश करने। ए

ए

जु जण्ड अधिकारी

कोल्कासिम (अलवर)

न्यायालय उप स्वतंत्र अधिकारी कोर्टकार्यक्रम जिला अदालत (राज.)  
 पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

<u>मेकअप सं.</u>	<u>दाखल दिनांक</u>	<u>निर्णय दिनांक</u>
118/17	4.8.2017	14/09/2017

अभ्युक्त

[1] कामला पानि चर्मवीर जालि अदीर निवासी कोर्टकार्यक्रम जिला  
 अदालत (राज.) - वादिया

व्याज


[1] राज. सरकार जालि आभिव्यक्ति तहसीलवार कोर्टकार्यक्रम  
 तहसील कोर्टकार्यक्रम जिला अदालत (राज.) - प्रतिवादी

दादा शरत केशवदास मधु दुरुस्ती जालि  
 अ. सं. 88, 89 राज. दी. सं. 1955

उपस्थित :-

- [1] श्री सुबोधित यादव आभिव्यक्ति वादिया
- [2] प्रदीपार सरकार

वादिया ने मधु आभिव्यक्ति उपस्थित होकर राज. वाद  
 इल न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संश्लेष विवरण उप पृष्ठ  
 में उल्लेखित है। राज. सं. नं. 204/7-12, 206/5-08, 286/2-04,  
 573/4-09, 577/7-12, 825/21-06, 625/843/0-01, 770/2-01  
 823/9-08 खारि सं. 29 वाले ग्राम नसीपुर तहसील कोर्टकार्यक्रम  
 में वादिया कोर्ट/3 राज. राजस्व विभाग में दर्ज है। अतीत में  
 वादिया के सम्बन्धी त्रिजमी मुद्दे के बाद अदालत उनके दोनो पुत्र  
 हरिदाम, चर्मवीर व उनकी पानि के नाम से विश्वास में आई।  
 अतीत वादिया का पिता हरिदाम ने सत्य दुराचार प्रारंभ हरिदाम के  
 मुद्दे से अतीत वादिया के कोर्ट आगे नहीं आई। हरिदाम की मृत्यु



को पश्चात मिन वादिशा ने चर्मवीर के साथ पुन विवाह कर लिया। जिससे मिन वादिशा के तीन सन्तान को जन्म दिया। वादिशा के सभी दस्तावेज पश्चान पर, आचार्य कार्ड, पंजाब राज्य में मिन वादिशा का नाम कमला पाली चर्मवीर के नाम से है परन्तु आरजी में मिन वादिशा का नाम कमला पाली हरि राम र्जा है। जिससे मिन वादिशा को किसान प्रोडि कार्ड में परेशानी झुझै है। इतिहास वादिशा का वाद डिफ्री कर विवाहित आरजीयात में वादिशा का नाम कमला पाली हरि राम के स्थान पर कमला पाली चर्मवीर किया जावे। अंतः, श्री मान से निवेदन है कि वादिशा के पति का नाम हरि राम के स्थान पर सुश्रीमति कर चर्मवीर किया जावे।

वाद र्जा रजिस्टर किया जाकर प्रतिलिपी को जारी प्रमाण तालव किया गया। प्रतिलिपी ने न्यायालय में उपस्थित होकर सिर्फ 3.9.17 को मॉका पर्या र्जा कर पर पेश किया जिससे अंतिक किया कि वि-चर्याधीन प्रकरण कमला कमल सुधकार में जांच करना पश्चारी अंतिक के साथ मजसे आम में की, जामिनी से जांच की एवं दस्तावेजों की जांच की। जांच में पाया कि वादिशा चर्मवीर की पालने है। जिससे सुद्ध किया जाना उचित है।

वादिशा शक्तिआधवा ने कल वर अंतिक कर दस्तावेजों पर नही करना चाहते। एबी साक्ष्य संलग्न प्रमाण है।

प्रमाणों का शिवनीकन किया। फरीकर (सकार द्वारा पेश अंतिक पर अनम किया। सभी दस्तावेजों से इस प्रमाण है अंतः वादिशा का वाद उध कर डिफ्री किया जाय है कि

विवाहित आरजीयात सं. नं. 204, 206, 286, 573, 577, 825, 625/843, 770, 823 रवाता सं. 29 जाम नसीपुत्र तस्वीर कोष्काशिस

में वादिशा को पति का नाम हरि राम के स्थान पर चर्मवीर सुद्ध

कर किया जाता है। उभी अंतिक पर दस्तावेजों में अमल करामद ही। तदनुसार पर्या डिफ्री जारी है। एवांतर-

